



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 05 जुलाई 2024

"ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर धोखाधड़ी करने के आरोपी अशोक को 07 वर्ष का कारावास व 1,10,000/- रुपये के अर्थदण्ड व आरोपी दीपक चौहान को 04 वर्ष का कारावास व 60,000/ रुपये के अर्थदंड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र चन्द्रपाल व दीपक चौहान पुत्र मुख्तयार सिंह निवासीगण ग्राम भडकाऊ थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2021 में धोखाधड़ी से अधिक लाभ के नाम पर निपटेक कम्पनी से रुपये लेना व मांगने पर वापस न करना तथा जान से मारने की धमकी देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 25.02.2021 को थाना नरसैना पर मुअसं- 44/2021 धारा- 420,406,506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 22.11.2021 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 05.07.2024 को मा0 न्यायालय ACJM-03 जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अशोक को 07 वर्ष का कारावास व 1,10,000/- रुपये के अर्थदण्ड व आरोपी दीपक चौहान को 04 वर्ष का कारावास व 60,000/ रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री शिवम कुमार मिश्रा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

अभियुक्त अशोक का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-172/20 धारा 406,420,506 भादवि थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं-379/20 धारा 406,420 भादवि थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं-44/21 धारा 406,420,506 भादवि थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं-65/21 धारा 406,420 भादवि थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं-319/21 धारा 174ए भादवि थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअसं-369/21 धारा 174ए भादवि थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
7. मुअसं-409/21 धारा 406,420 भादवि थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
8. मुअसं-445/21 धारा 406,420 भादवि थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
9. मुअसं-173/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
10. मुअसं-164/21 धारा 174ए भादवि थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।
11. मुअसं-168/21 धारा 174ए भादवि थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।
12. मुअसं-172/21 धारा 174ए भादवि थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।
13. मुअसं-178/21 धारा 174ए भादवि थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।
14. मुअसं-179/21 धारा 174ए भादवि थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।
15. मुअसं-179/18 धारा 328,377,386,504,506 भादवि थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।

44. मुअसं-96/22 धारा 406,420,34,120बी भादवि व 3/4/5/6 प्राइज चीट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम (बैनिंग) एक्ट 1978 थाना बहादुरगढ जनपद हापुडा
45. मुअसं-106/22 धारा 406,420,34 भादवि व 3/4/5/6 प्राइज चीट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम (बैनिंग) एक्ट 1978 थाना बहादुरगढ जनपद हापुडा

अभियुक्त दीपक का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-44/21 धारा 420,406,506 भादवि थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर ।
2. मुअसं-358/21 धारा 420,406,120 भी भादवी थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर ।

मीडिया सेल बुलन्दशहर

